छत्तीसगढ़ शासन
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय,
महानदी भवन, अटल नगर नवा रायपुर

क्रमांक एफ 5–81/कोर्ट 2021/17–1 नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक, 07/5/2021

प्रति,

समस्त कलेक्टर,

छत्तीसगढ़

विषय :– **18–44 वर्ष के व्यक्तियों हेतु शासकीय संस्थाओं में कोविड –19 टीकाकरण के संबंध में**

—0—

प्रकरण कमांक W.P.PIL27/2020 के साथ W.P.PIL 46/2021 Suo Moto Vs State of Chhattisgarh & Others में दिनांक 07.05.2021 को माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष पुनः सुनवाई हुई, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा अंतरिम आदेश दिया गया है कि उपलब्ध वैक्सीन डोजेज को बराबरी से अंत्योदय, बीपीएल एवं एपीएल हितग्राहियों के बीच विभाजित किया जाये। माननीय उच्च न्यायालय के उपरोक्त आदेश के परिपालन में सभी वर्गों के हितग्राहियों का बिना किसी कठिनाई के टीकाकरण करने हेतु निम्नानुसार निर्देश दिये जाते हैं:–

1. अंत्योदय, बीपीएल एवं एपीएल श्रेणी के हितग्राहियों के लिये पृथक–पृथक टीकाकरण केन्द्र बनाये जायें।
2. प्रत्येक नगर निगम और विकासखंड में उपलब्ध वैक्सीन डोजेज को तीनों वर्गों के बीच बराबर विभाजित कर दिया जाये।
3. प्रत्येक टीकाकरण केन्द्र के बाहर स्पष्ट रूप से एक बैनर लगाकर यह दर्शाया जाये कि वह टीकाकरण केन्द्र किसी श्रेणी के हितग्राहियों के लिये है।
4. अंत्योदय एवं बीपीएल श्रेणी के लिये बनाये गये टीकाकरण केन्द्र में प्रवेश के पूर्व टीकाकरण केन्द्र के बाहर पदस्थ अधिकारी द्वारा इस बात की जांच की जाएगी कि टीका लगवाने के लिये केन्द्र में जाने का इच्छुक व्यक्ति उसी श्रेणी का हितग्राही है अथवा नही । इसके लिये प्रत्येक हितग्राही को अपने साथ अपना राशन कार्ड लेकर आना होगा । राशन कार्ड की जांच के बाद ही केवल पात्र हितग्राही को टीकाकरण केन्द्र में प्रवेश की पात्रता होगी ।
5. एपीएल श्रेणी के टीकाकरण केन्द्र में बिना राशन कार्ड दिखाये किसी भी 18 से 44 वर्ष के हितग्राही को प्रवेश दिया जा सकेगा परंतु इसके लिये हितग्राही को आधार कार्ड/वोटर आईडी/ड्राइविंग लाइसेंस पहचान पत्र के रूप में लाना होगा और इस प्रकार के पहचान पत्र को देखकर ही उसे टीकाकरण केन्द्र में प्रवेश दिया जाएगा ।
6. हर टीकाकरण केन्द्र में पर्याप्त संख्या में प्रशासनिक और पुलिस बल की टीमों को नियोजित किया जाये ताकि कानून व्यवस्था के स्थिति निर्मित न हो ।
7. टीकाकरण केन्द्र में उपलब्ध वैक्सीन की डोजेज की संख्या स्पष्ट रूप से बाहर नोटिस बोर्ड पर लिखी जाएगी ।

Scanned with CamScanner

8. टीकाकरण केन्द्र में उतनी ही संख्या में हितग्राहियों को प्रवेश दिया जाएगा जितनी डोजेज उस टीकाकरण केन्द्र में उपलब्ध होंगी । उपलब्ध डोजेज की संख्या के अनुसार हितग्राहियों को प्रवेश देने के पश्चात् टीकाकरण केन्द्र में प्रवेश बंद कर दिया जाएगा तथा टीकाकरण केन्द्र के बाहर नोटिस चस्पा करके आम जनता को सूचित किया जाएगा कि वैक्सीन समाप्त हो जाने के कारण टीकाकरण केन्द्र में प्रवेश बंद किया गया है। भारत सरकार से वैक्सीन प्राप्त होने पर प्रचार माध्यमों के द्वारा आम जनता को सूचित किया जाएगा कि टीकाकरण केन्द्र दोबारा खोल दिये गये हैं ।

9. टीकाकरण के संबंध में पूर्व में जारी अन्य सभी निर्देश यथावत लागू रहेंगे । विशेष रूप से भीड़ रोकने तथा कोविड से बचाव संबंधी सामाजिक व्यवहार के संबंध में सारे निर्देशों का अक्षरशः पालन किया जाएगा ।

10. राज्य शासन द्वारा 18 से 44 वर्ष आयु वर्ग के लोगों के टीकाकरण के लिये एक वेबसाईट तैयार की जा रही है । यह वेबसाईट तैयार होने पर आपको सूचित किया जाएगा । वेबसाईट तैयार होने के पश्चात् 18 से 44 आयु वर्ग के हितग्राहियों की समस्त जानकारी इस वेबसाईट पर ही भरी जाएगी।

11. जब तक उपरोक्त वेबसाईट तैयार नही होती है तब तक दिनांक 30.4.2021 को 18 से 44 वर्ष आयु वर्ग के हितग्राहियों के टीकाकरण के संबंध में राज्य शासन द्वारा जारी किये गये पत्र में दिये गये प्रारूप में समस्त जानकारी एक रजिस्टर में भरी जाएगी जिसकी डाटा एंट्री बाद में विभाग द्वारा निर्धारित साफ्टवेयर में की जाएगी। अंत्योदय एवं बीपीएल श्रेणी के हितग्राहियों के लिये राशनकार्ड कमांक की एंट्री करना अनिवार्य होगा । एपीएल श्रेणी के हितग्राहियों के लिये राशनकार्ड अथवा आधार कार्ड/वोटर आईडी/ड्राइविंग लाइसेंस कमांक की एंट्री करना होगा।

आपसे अपेक्षा है कि आप सतत निगरानी बनाये रखेंगे जिससे टीकाकरण केन्द्रों में अराजकता या कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न न हो। इस दौरान कोविड अनुकूल व्यवहार सुनिश्चित करने हेतु जारी किये गये निर्देशों का पालन भी सुनिश्चित करें।

(सुरेन्द्र सिंह बाघे)
उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

Scanned with CamScanner